राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– थालडका

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : सन 2018

अनवान :–

1. सुरेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. विकलेश कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. पुष्पा पुत्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 15.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") मे पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 137/141 की कुल 1.2400हैक व रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 404/127 की कुल 0.6910हैक चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 120/108 की कुल 1.594हैक व रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 75/92 की कुल 0.506हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा रामेश्वरलाल पुत्र हुन्ताराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने लोक भावना से प्रेरित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि में पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों की ताईद में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवाादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है।इसप्रकार वादी के प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 137/141 की कुल 1.2400हैक व रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 404/127 की कुल 0.6910हैक चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 120/108 की कुल 1.594हैक व रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 75/92 की कुल 0.506हैक भूमि में जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक अदालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–थालडका

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–थालडका

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. सुरेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 महावीर प्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. विकलेश कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. पुष्पा पुत्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या सन 2018 निर्णय दिनांक–15.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 137/141 की कुल 1.2400हैक्ट व रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 404/127 की कुल 0.6910हैक्ट चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 120/108 की कुल 1.594हैक्ट व रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 75/92 की कुल 0.506हैक्ट भूमि में जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–थालडका

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–थालडका